-	दि. 19/12 [illegible]	
19.12.24	बार-बार आवाज लगवाने के बाद भी न तो अभी० न ही अभी० अधिवक्ता उपस्थित। प्रा० अ० धारा अदा फैली में खारिज की जाती है। प्रा० फैसल शुल्क की वापसी नियम से की जावें। बाद मालवा दाखिल दफ्तर हो।	